राजस्थान सूचना आयोग

ओ.टी.एस. परिसर के पास, झालाना लिंक रोड़, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302017 (टेलीफैक्स-0141-2719136)

क्रमांक पं.6(7)/रा.सू.आ./लेखा/ /2020/ दिनांक :-

ई-बिड सूचना

संख्या :-2 /2019-2020

राजस्थान राज्य सूचना आयोग , जयपुर में कम्प्यूटर मय आपरेटर की सेवाऐं संविदा पर उपापन हेतु आन लाईन ई-बिड़ वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिये आमन्त्रित की जाती है। बिड़ का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	बिड़ प्रपत्र डाउनलोड करने का दिनांक व समय	बिड़ प्रस्तुत/अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	बिड़ की अमानत/विक्रय पत्र व आरआईएसएल की फीस डी. डी./बैकर्स चैक भौतिक रूप से जमा कराने की तिथि	तकनीकी बिड़ खोलने की तिथि एवं समय
01	कम्प्यूटर मय आपरेटर की सेवाऐं	12.00 लाख	06.03.2020 3.00बजे से	19.03.2020 दोपहर 3.00 बजे तक	19.03. 2020 दोपहर 3.00 बजे तक	20.03. 2020 प्रातः 11.00 बजे

ई-बिड़ से सम्बन्धित समस्त शर्तें एवं विवरण वैबसाइट www.eproc-rajasthan.gov.in www.ric.rajasthan@yahoo.com एवं sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। इच्छुक बिड़र्स को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से http: //eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

UBN------------------------------

(राधेप्रताप सिंह)
सचिव,
राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर

राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर

राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर ने 10 मैन विद मशीन मय कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य जॉब बेसिस पर कराने हेतु निविदा:–

<u>तकनीकी–प्रपत्र</u>

<u>निविदा सूचना 02/2019–20</u>

दिनांक:

1– सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर के पक्ष में देय ई–बिड प्रपत्र का मूल्य 1000/– का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक सं. .... दिनांक............... संलग्न है।

2– सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर के पक्ष में देय ई–बिड प्रकिया मूल्य (टेण्डर प्रोसेसिंग फीस) राशि रूपये 500/– का बैंक बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक .... दिनांक .... संलग्न है।

3– बोली प्रतिभूति राशि:– बिड के साथ नियमानुसार बोली प्रतिभूति राशि रूपये 24000/– जो सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर के पक्ष में देय हो संलग्न है।

4– तिथि जिससे ई–बिड प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकेगा:– दिनांक 06.03.2020 समय दोपहर 3.00 बजे से

5– ई–बिड प्रपत्र डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि व समय:– दिनांक 19.03.2020 को समय दोपहर 3.00 बजे तक

6– बिडर द्वारा ई–बिड वेबसाईट पर अपलोड करने की अन्तिम दिनांक 19.03.2020 को समय दोपहर 3.00 बजे तक

7– समिति द्वारा ई–बिड के तकनीकी प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक व समय:– दिनांक 20.03.2020 स्मय प्रातः 11.00 बजे।

8– तकनीकी रूप से सफल बिडर्स की वित्तीय बिड खोले जाने की दिनांक व समय से संबंधित जानकारी यथासमय ई–बिड वेब साईट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

9– ई–बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता:– ....

डाक का पता (अ) कार्यालय (मय टेलीफोन नं. एवं ई–मेल आई.डी.) ....

(ब) फैक्ट्री (मय टेलीफोन नं. एवं ई–मेल आई.डी.) ....

10. ई–बिड सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर को सम्बोधित करते हुए WWW.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जावेगी।

11– ई–बिड को बिना कारण बताये स्थगित अथवा स्वीकार/रद्द करने का पूर्ण अधिकार सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर को होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

12— ई—बिड की अनुमानित लागत रूपये 12 लाख है।

13— बोली प्रतिभूति का विवरणः—

बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक संख्या	दिनांक	जारी कर्ता बैंक का नाम एवं पता	राशि रूपये	बिड का पृष्ठ संख्या

14— बिड प्रपत्र शुल्क का विवरणः—

बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक संख्या	दिनांक	जारी कर्ता बैंक का नाम एवं पता	राशि रूपये	बिड का पृष्ठ संख्या

15— बिड प्रकिया शुल्क का विवरणः—

बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक संख्या	दिनांक	जारी कर्ता बैंक का नाम एवं पता	राशि रूपये	बिड का पृष्ठ संख्या

16— माल एवं सेवा कर (Goods and Service Tax) प्रमाण पत्र का विवरणः—

प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक	वैद्यता अवधि	प्रमाण पत्र में उल्लेखित कार्यक्षेत्र	बिड का पृष्ठ संख्या

17— माल एवं सेवा कर (Goods and Service Tax) समासोधन प्रमाण पत्र (क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट) का विवरणः— (As per Technical con dition no. 2 (A) (iii)

सनदी लेखाकार से प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक	प्रमाण पत्र की तिथि	माल एवं सेवा कर (Goods and Service Tax) जमा कराने के चालानों की प्रतियां	बिड का पृष्ठ संख्या

18— अनुभव का विवरणः—

वर्ष	कार्यादिश देने वाली संस्था का नाम एवं पता	कार्यादिश की छाया प्रति संलग्न (हॉं / नहीं)	बिड का पृष्ठ संख्या
2016—17			
2017—18			
2018—19			

19— वार्षिक टर्न ओवर का विवरणः—

वर्ष	वर्षिक टर्न ओवर रूपये	चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा जारी प्रमाण की छाया प्रति संलग्न (हॉं / नहीं)	बिड का पृष्ठ संख्या
2016—17			
2017—18			
2018—19			

20— बिड प्रपत्र व बिड की शर्तें:—

क्र.सं.	विवरण	संलग्न (हॉं/नहीं)	बिड का पृष्ठ संख्या
1.	बिड प्रपत्र मय बिड संविदा की शर्तें मय Annexure.A to H & J :—शर्त संख्या 02 (A) के अनुसार		

21— राजस्थान की लघु ईकाई के रूप में बिड प्रस्तुत करने पर:—

क्र.सं.	राजस्थान की लघु उद्योग ईकाई के रूप में बिड प्रस्तुत करने की स्थिति में Annexure-1 & Annexure-J के अनुसार प्रमाण पत्र		

22— Income Tax permanent Account Number:-

1	Income Tax permanent Account Number:- :—शर्त संख्या 02 (A) (xii) के अनुसार		

1	Other Document as per:- :—शर्त संख्या 02 (A) (xiii to xiv) के अनुसार		

23— बिडर द्वारा प्रस्तुत की गई ई—बिड में समस्त पृष्ठों की संख्या अंकित करते हुए संदर्भित Documents का विवरण पृष्ठ संख्या सहित अंकित करना होगा।

मैं/हम समेकित सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा जारी की गई ई—बिड सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित समस्त शर्तो तथा संलग्न प्रत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तो की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई समस्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। बिड की शर्तो के अन्तर्गत बिड में वर्णित कार्य के पूर्ण करने हेतु मेरे/हमारे पास समस्त सुविधाए/ संसाधन उपलब्ध है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा संविदा की शर्तें

नोटः— निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढना चाहिये तथा निविदा भेजते समय इसकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए, इन शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। इस निविदा/अनुबन्ध के क्रम में ली जाने वाली सभी आपूर्ति पर राज्य सरकार के भण्डार क्रय नियम सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (The Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013) प्रभावी होंगे/रहेंगे।

1. निविदादाताओं को निविदा सूचना, निविदा फार्म में दिये गये निर्देशों के अनुसार संबोधन तथा मुहर बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना चाहिये। प्रथम लिफाफा निविदादाता की तकनीकी/ वित्तीय योग्यता एवं निविदा प्रपत्र के सम्बन्ध में होगा तथा द्वितीय लिफाफा कार्य की दरों के उद्वरण से सम्बन्धित होगा (परिशिष्ठ 'ब')।

2. (अ) **तकनीकी प्रस्ताव** :—

(i) **<u>निविदा प्रपत्र मय निविदा संविदा की शर्तें</u>** :— निविदादाता को विभाग द्वारा जारी निविदा प्रपत्र एवं शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर शर्तो की स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर करने होंगे।

(ii) निविदायें कार्य के वास्तविक व्यापार कर्ता/अधिकृत एजेन्सी/फर्म को ही दी जायेगी। अतः वे एस.आर. 11 में घोषणा प्रस्तुत करेंगें। (Annexure "E")

(iii). निविदादाता को कम्प्यूटर मय ऑपरेटर उपलब्ध कराने के संबंध में सरकारी संस्था/एजेन्सी का संबंधित विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। निविदा के साथ एजेन्सी रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें, इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। तथा इसके बिना प्रस्तुत निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।

(iv). निविदा के साथ नियमानुसार बोली प्रतिभूति राशि रू. 24000/— बैंकर चैक मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गांरटी या ई. जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा कराकर संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

(v) **<u>टर्न ओवर प्रमाण पत्र/बैलेन्स शीट</u>** :— निविदादाता का विगत लगातार दो वित्तीय वर्षो (2016—17 से 2018—19) में कुल राशि रूपये 20.00 लाख का न्यूनतम टर्न ओवर होना अनिवार्य है। टर्न ओवर के सत्यापन हेतु गत दो वर्षो का संनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र/अंकेक्षित लेखे प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

(vi) निविदादाता को विगत दो वित्तीय वर्षों (2016—17 से 2018—19) में से किसी एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम दो लाख रूपये मूल्य के बराबर का सरकारी/अर्द्धसरकारी राजकीय उपक्रमों/संस्थानों में कम्प्यूटर मय ऑपरेटर आपूर्ति करने का अनुभव होना चाहिए। अन्यथा वह तकनीकी/वित्तीय मापदण्ड के आधार पर अयोग्य माना जाएगा एवं उसके किसी भी वित्तीय प्रस्ताव को नहीं खोला जाएगा।

(vii). निविदादाता का जयपुर नगर निगम की सीमा में कार्यालय होना आवश्यक है। इसके लिए निविदा के साथ कार्यालय पते के विवरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक होगा।

(viii) <u>निविदादाता फर्म को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न</u> Annexure "A" <u>से</u> Annexure "D" <u>हस्ताक्षरित कर निविदा के साथ संलग्न करने होंगे।</u>

(ix) पूर्व मे कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के लिये किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नही होने का प्रमाण —पत्र प्रस्तुत करना होगा। (Annexure "F")

<u>उक्तानुसार आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण–पत्रों का क्रम व्यवस्थित रूप में (i) से (ix) के अनुसार हो।</u>

(ब) **दर प्रस्ताव :–**

(i). आदेशित कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि के सम्बन्ध में समस्त अधिकार सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग,जयपुर के पास सुरक्षित रहेंगे।

(ii). **निविदा के साथ संलग्न सूची**(Annexure "G") **में वर्णित** कम्प्यूटर विद मैन(Computer with Man) **की एकल दरें ही मान्य होगी, एक से अधिक दरें देने पर सम्बन्धित आईटम की दर अस्वीकार्य होगी।**

(iii). निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों समस्त कर सम्मिलित होगें।

3. निविदा प्रारूप स्याही से या टंकण से भरा जायेगा। पैंसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता, निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

4. दरें नियत स्थान पर शब्दों एवं अंको दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियाँ (Errors) एवं/या उपरी लेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी आवश्यक हो तो वे स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। दरों में राजस्थान/केन्द्रीय बिक्री कर पृथक से दिखाया जाना अनिवार्य है।

5. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में, अंकों एवं शब्दों में वर्णित दरों में अन्तर नहीं होना चाहिए अन्तर होने की स्थिति में, जो भी दर कम होगी, उस पर विचार किया जावेगा।

6. निविदायें, उनके खोले जाने की तिथि से तीन माह की अवधि तक के लिए विधि मान्य होगी।

8. आपूर्तिकर्ता अपनी संविदा को या किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप–भाडे (सब–लैट) पर नहीं देगा।

9. परिपत्र दिनांक 30.04.2018 के अनुसार कम्प्यूटर मय ऑपरेटर **निर्धारित स्पेसिफिकेशन एवं शर्तो के अनुरूप कम्प्यूटर व अन्य सामग्री एवं निर्धारित योग्यताधारी कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराना होगा।**

10. सभी कार्य आयोग में उपस्थित रहकर किये जाने हैं।

11. कम्प्यूटर पर कार्य हिन्दी एवं अग्रेजी दोनों में कराया जा सकेगा। स्टेशनरी, टोनर आदि विभाग द्वारा ही उपलब्ध कराई जावेगी।

12. कम्प्यूटर पर कार्य सामान्यतयः प्रातः 9.30 बजे से 6 बजे तक कार्यालय में कराया जावेगा। अतः कम्प्यूटर ऑपरेटर को कार्यालय समय में आवश्यक रूप से उपस्थित रहना होगा। विशेष परिस्थिति में कार्यालय समय के पूर्व व पश्चात् भी कार्य कराया जा सकेगा जिसके लिए अलग से कोई पारिश्रामिक अथवा शर्त मंजूर नहीं होगी।

13. अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस दिये अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को निर्णित करने के संबंध सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग,जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा जो निविदादाता को मान्य होगा।

14. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के संबंध में प्रस्तुत की गई दरें अनुबंध निष्पादन किये जाने की तिथि से ग्यारह माह तक के लिए मान्य होगी। आर. टी. पी. पी. नियम 2013 के अनुसार उक्त अवधि को पारस्परिक सहमति से तीन माह बढ़ाया जा सकेगा।

15. **बोली प्रतिभूति राशि** (Bid Security)

(क) निविदा के साथ 24000/– रूपये की बोली प्रतिभूति प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह बोली प्रतिभूति राशि, बैंकर चैक मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गांरटी या ई.जी. आर.ए.एस. के माध्यम से जमा के रूप में सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग,जयपुर के पक्ष में जमा करानी होगी।

16. **बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण :–** बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में सम्पहरण कर लिया जाएगा:–

(1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(3) जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता हो।

(4) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार कम्प्यूटर विद मैन(Computer with Man) उपलब्ध कराने में असफल रहता हो।

17 1. **करार एवं कार्य संपादन प्रतिभूति निक्षेप :–**

(1) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने के 7 दिन की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन कम्प्यूटर मय ऑपरेटर कार्य के लिये निविदाएं स्वीकार की गई हैं, उनके निविदा मूल्य का 5 प्रतिशत राशि कार्य संपादन प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करानी होगी।

(2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी:–

(क) " ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा,"

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैकर चैक,

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो । बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकर की जायगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से संस्था के नाम अंतरित की जायेगी

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की गारंटी/गांरटियॉ। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(ङ) किसी अनुसूचित बैंक नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते विभाग सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग,जयपुर के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। विभाग नियत जमा रसीद को स्वीकार करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा की बोली लगाने वाला बैंक की ओर से विभाग को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति के अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य संम्पादन प्रमिभूति के समपहरण की दशा मे नियत जमा ऐसी जमा नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

(3) निविदा के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को निविदादाता के आवेदन पर बोली प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जायेगा।

(4) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम बोली प्रतिभूति एवं कार्य संपादन राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(6) कार्य संपादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (**Forfeiture of Performance Security**) :– कार्य संपादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जायेगा:–

(क) जब निविदा की शर्तो का उल्लघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) कार्य संपादन प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(7) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टॉम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार पत्र की एक निष्पादित स्टॉम्प शुदा मूल प्रति निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी। जिसकी सत्यापित फोटो प्रति सफल निविदादाता को उपलब्ध करायी जायेगी।

18. **भुगतान** :–

(1) राशि का भुगतान दिये गये आदेश के अनुरूप कार्य सम्पादन करने के उपरान्त ही दिया जाएगा।

(2) भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएगें।

(3) नियमानुसार देय भुगतान पर स्त्रोत पर कर कटौती की जाएगी।

(4) निविदादाता द्वारा अंकित की गई दर में सभी प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होंगे।

19. **शास्ती (Penalty)**–यदि कम्प्यूटर मय ऑपरेटर सेवाओं में कमी या कार्य असंतोषप्रद होना परिलक्षित होता है तो निम्नानुसार दण्ड/शास्ती का प्रावधान रहेगा–

(i) अनुबंध की शर्तो के अनुरूप सेवाऐं सुचारू एवं उचित रूप से नहीं होने पर प्रथमतः कार्य में अपेक्षित सुधार करने के लिए सेवाप्रदाता को 2 दिवस के लिए लिखित नोटिस दिया जाएगा।

(ii) उक्त नोटिस के उपरान्त भी 2 से 7 दिवस तक कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रति कम्प्यूटर विद मैन(Computer with Man) के लिए प्रतिदिन राशि रूपये 500/– शास्ती के रूप में वसूलनीय होगी।

(iii) यदि उक्त अवधि में विभाग में अनुबंधित सेवाओं/ कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के लिए विभाग के स्तर से कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है तो उसके लिए किये गये वास्तविक व्यय की वसूली निविदादाता/ठेकेदार को देय राशि में से की जाएगी।

(iv) उक्त 7 दिवस की अवधि के पश्चात् भी कम्प्यूटर मय ऑपरेटर सेवाओं में अपेक्षित सुधार नहीं होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त करते हुए कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

(v) शास्ती की वसूली निविदा संविदा की <u>शर्त संख्या 18</u> के प्रावधानानुसार निविदादाता को देय भुगतान/ कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से की जा सकेगी।

(vi) यदि कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि से पैनल्टी/शास्ती काटी जाती है तो अनुबंधकर्ता का कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि की पूर्ति हेतु पैनल्टी/शास्ती के रूप में काटी गई राशि अविलम्ब जमा कराकर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि की पूर्ति करनी होगी।

(Vii) यदि कम्प्यूटर मय ऑपरेटर कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाताओं के नियंत्रण से परे कारणों से हुई तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

20. यदि निविदादाता ऐसी शर्तो को आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा का संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा, जब तक कि केता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

21. केता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्व करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सबके लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/निविदादाता से कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

22. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः—

i यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशीप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

ii यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीकृत संख्या एवं उसका वर्ष सहित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति।

iii एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

iv कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र।

23. **निविदा प्रक्रिया में तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे।**

24. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation) आशय या संविदा की शर्तो के उल्लघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह प्रकरण विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा एवं इसमें अन्तिम निर्णय विभागाध्यक्ष का ही होगा, जो कि निविदादाता को मान्य होगा।

25. अनुबंध अवधि के दौरान यदि ऐसी कोई परिस्थिति अथवा नियम लागू होते हैं, जिनका उपाबंध दर अनुबंध की शर्तों में नहीं हैं, तो उनका निराकरण उस समय के प्रचलित नियमों के अनुसार किया जाएगा। नियमों में इस संबंध में व्यवस्था नहीं होने पर सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाएगा, जो अनुबंधकर्ता फर्म को मान्य होगा।

26. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार सरकार या निविदादाताओं द्वारा जयपुर (राजस्थान) में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी।

27. निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन विक्रय /डाउनलोड़/अपलोड़ को करने की अवधि दिनांक 06.03.2020 से 19.03.2020 तक 3.00 बजे तक रहेगी।

28. धरोहर/अमानत राशि के डी.डी./बैकर्स चैंक सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर के नाम तथा ई–बोली प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड डिमाण्ड ड्राफ्ट /बैकर्स चैंक प्रबंधं निदेशक आर.आई.सी.एल, जयपुर. के नाम से प्रस्तुत करना होगा।

29. ई–बोली केवल http://eproc.rajasthan.gov.in पर ही स्वीकार की जावेगी। वित्तीय बोली/प्राईस बिड़ के लिए ई–प्रक्योरमेन्ट पोर्टल पर निर्धारित बी.ओ.क्यू (B.O.Q) में ही राशि का राशि काअ अंकन किया जाना है।

30. ई–बोली प्रतिभूति राशि,ई–बोली प्रपत्र शुल्क व ई–बोली प्रोसेसिंग फीस का ड डिमाण्ड ड्राफ्ट /बैकर्स चैंक भौतिक रूप से आयोग के केशियर को

दिनांक 19.03.2020 को दोपहर 3.00 बजे तक जमा करना आवश्यक होगा ।

31. निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की दर तुलानात्मक विवरण तक प्रक्रिया ऑन लाईन होगी ।

32. ई–टेण्डरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश :–

01.निविदाओं में भाग लेने वाले बोली दाता निविदा प्रपत्रों को वैबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड़ कर सकते है।

02.02.निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को वैबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होगा।

03.ऑन लाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिट़ल र्सटिफिकेट इन्फोरमेशन टेकनोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा। जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिट़ल र्सटिफिकेट सी.सी.ए.द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है । जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैंद्य डिजिट़ल र्सटिफिकेट है उनको पुनः लेने की आवश्यकता नही है।

04.निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फोरमेट उपरोक्त वैवसाईट पर डिजिट़ल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिट़ल हस्ताक्षर के साथ नहीं होगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किये जावेगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार नहीं किये जावेगें।

05.ईलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा करवाने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजो की स्केन प्रति संलग्न कर दी गई है।

06. कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रोनिक जमा करवाने में किसी कारण से विलम्ब हो जाना है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की नही होगी।

07. टेण्डर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूँचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करे।

मैं/हम सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग,जयपुँर द्वारा जारी की गई **निविदा सूचना सं........ दिनांक ......03.2020** में वर्णित समस्त शर्तो तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तो की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई समस्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। साथ ही बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच/मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गयी है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही है। यदि निविदा प्रकिया या निविदा प्रक्रिया के पश्चात किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी निविदा/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरूद्ध कानून/विधि सम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

मै/हम कार्यालय सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा में वर्णित सभी शर्तो से तथा सीट में दी गई उक्त निविदा की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। सभी शर्तो को स्वीकार करने प्रमाण स्वरूप मैने/हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

कम्प्यूटर आपरेटर निविदा हेतु विशेष अतिरिक्त शर्ते

1. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीयन विवरण प्रस्तुत करना होगा।
2. सन्देश वाहक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगी

क्रस	सेवा का नाम	श्रमिको देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर कम नही होगी मद संख्या				ई.पी.एफ दर प्रतिशत	ई.एस. आई दर प्रतिशत	सामाग्री राशि उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		श्रमिको की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर प्रति	श्रमिको की संख्या	राशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कम्प्यूटर मय आपरेटर	उच्च कुशल	7774/-	10	77740/-	12 प्रतिशत	3.75 प्रतिशत			

उपर्युक्त तालिका में स्तभं संख्या 1-8 की पूर्तियां संबधित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जावेगी,तथा केवल स्तम्भ संख्या 9 व 10 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्ट्यिाँ की जा सकेगी।

27. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1945(केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित सवेदक का होगा।
28. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक(नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियमन 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होगें। पंजीकरण प्रमाण-पत्र सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुये बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जावेगी।
29. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालीन (Part Time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अशंकालीन सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुये संबंधित उपापन संस्था द्वारा बिड संबंधी कार्यवाही की जावेगी। ऐसे अंशंकालीन मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिये ली जावेगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जावेगी।
30. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में किया जावेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरणसंबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्ठि होने पर ही संवेदक का आगामी माह के बिल भुगतान किया जावेगा।
31. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
32. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर से श्रम विभाग की अधिसूचना से समय समय

पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अंतर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

33. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआई जमा कराना होगा,जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ईपीएफ एवं ईएसआई की अशंदान राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

34. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display boards लगाये जायेंगें जिन पर संवेदक का नाम संविदा अवधि,कार्य की प्रगति,श्रमिकों हेतु (Help Line) नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

35. राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआई जमा कराने का कर दायित्व संवेदक का होगा।

36. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवाकर (GST) का भुगतान नही किया जावेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवाकर (GST) के संबध में उत्पन होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

37. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों,उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों,उपनियमों व अधिसूचनाओं दिशा-निर्देशों का पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।

38. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्युनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित (श्रमिक नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा।

39. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने नोटिस वेतन छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

40. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबधं /संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने /ईसीआई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेवारी एवं दायित्व संवेदक का होगा। इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेवारी नही होगी।

41. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को (Debaar) कराने की कार्यवाही करेगी।

42. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबधित सवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित

श्रमिकों के बैंक खातों मे जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

43. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य-आदेश जारी करने के पश्यात कार्य-आदेश के प्रति श्रम विभाग को संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।

44. समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अध्यधीन अन्य आवश्यक शर्तो के साथ साथ उक्तानुसार शर्तो को बोली दस्तावेजों में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना सुनिश्चित करें ताकि श्रम विधि के अतंर्गत निर्धारित नियमों उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों की पालना की जा सके। उक्तानुसार शर्त संख्या का समावेदश सफल बोलीदाता /संवेदक से किये जाने अनुबंध में अनिवार्य रूप से किया जावे। इसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता को राज्य सरकार द्वारा अत्यन्त गंभीरता से लिया जावेगा।

45. मै/ हम कार्यालय सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा में वर्णित सभी शर्तो से तथा शीट में दी गई उक्त निविदा की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। सभी शर्तो को स्वीकार करने प्रमाण स्वरूप मैने /हमने हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता/ फर्म

मो.नं.

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc1

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Doc1

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

Doc I

(Annexure "E")

<u>निविदादाता द्वारा घोषणा</u>

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के लिए निविदा दी है उनका/उनके मैं/हम वास्तविक व्यापारकर्ता/अधिकृत एजेन्सी/फर्म हूँ/हैं।*

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

* जो लागू हो उसे ✓ करें।

(Annexure "F")

(SR-11)

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिस कम्प्यूटर मय ऑपरेटर आपूर्ति का कार्य जा भी कही किया है, उस कार्य विगत 3 वर्षो कार्य समय पर पूर्ण न करने के कारण हमें भी किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम /कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नही किया गया है।

हम यह घोषणा करते है की हमे किसी भी न्यायालय मे कम्प्यूटर विद मैन(Computer with Man) की सेवाओं के सन्दर्भ मे कोई वाद लम्बित नही है तथा इस विषयान्तगर्त हमे किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नही किया गया है।

दिनांक

हस्ताक्षर

फर्म का नाम

पता

तकनीकी बिड

बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा ।

क्र.स	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्न क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)				
4.	आयकर पैन नम्बर				
5.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

1. निविदा सूचना संख्या...
2. कार्य का नाम..
3. फर्म का नाम व पता...
4. निविदादाता द्वारा कार्यालय में दिनांक 19.03.2020 को दोपहर पश्चात् 03.00 बजे तक मूल रूप में जमा करायें।
5. निविदा शुल्क हेतु डी.डी/बैंकर्स चैक नं...................................दिनांक.........................
   राशि...
6. धरोहर राशि हेतु डी.डी/ बैंकर्स चैक नं...................................दिनांक.........................
   राशि...

हस्ताक्षर
निविदादाता का नाम
(................................)
पता मय सील..............................
......
टेलीफोन/मोबाईल नं.

राजस्थान सूचना आयोग

ओ.टी.एस. परिसर के पास, झालाना लिंक रोड़, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302017 (टेलीफैक्स–0141–2719136)

राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार के कार्यालय एवं अन्य प्रतिष्ठित उपक्रमों से प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्टेड नहीं होने की निविदादाता की घोषणा

निविदादाता का नाम ....

....

पूर्ण पता ....

....

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैने/ हमने जिन मालों/स्टोर्स उपकरणों के लिए निविदा दी हैं। उनमें आज दिनांक तक मैं/हम राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार के कार्यालय एवं अन्य प्रतिष्ठित उपकमों किसी के भी द्वारा प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हूँ।/है। यदि यह घोषणा असत्य पायी जावें तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जावेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद कर दिया जावें।

हस्ताक्षर
निविदादाता फर्म
मय फर्म की
मोहर